न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 25/2017 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

इमरान खॉन पुत्र इस्माइल खॉन अर्श डेयरी धनसौटा मोड के पास नेशनल हाईवे–11 भरतपुर जाति मेव उम्र 28 वर्ष निवासी सालपुर का बास तहसील मालाखेडा पोस्ट मालाखेडा जिला अलवर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 05.03.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल मय वकील दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हुये। गैरसायल को इस्तगासा की नकल दी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा के संक्षिप्त में अंकित तथ्य यह है कि दिनांक 19.03.2017 को दोपहर 3.00 बजे गैरसायल अर्श डेयरी धनसोटा मोड भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त डेयरी पर प्लास्टिक की टंकी में 2500 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया गया, जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 लीटर मिश्रित दूध 80/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया।

नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./282/एक्ट/2017/303 दिनांक 07.04.2017 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Substandard) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है।

गैरसायल दिनांक 26.07.2018 को मय अभिभाषक उपस्थित हुआ। दिनांक 26.07.2018 के बाद गैरसायल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ लेकिन उनके वकील उपस्थित हुये और उनको जबाब/बहस के लिये कई अवसर दिये गये लेकिन वकील गैरसायल ने न तो जबाब ही प्रस्तुत किया है और न ही बहस की है। गैरसायल व वकील गैरसायल दिनांक 05.03.2020 को भी अनुपस्थित रहे। गैरसायल व वकील गैरसायल जानबूझ कर इस प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। गैरसायल व वकील गैरसायल के उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 19.03.2017 को गैरसायल की अर्श डेयरी धनसोटा मोड के पास नेशनल हाईवे–11 भरतपुर से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित का नमूना लिया गया, जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 द्वारा नमूना अमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर की नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 में Milk Fat का मानक Minimum 4.50 प्रतिशत होना चाहिये था लेकिन 4.80 प्रतिशत पाया गया है, Milk solids not Fat का मानक Minimum 8.50 प्रतिशत होना चाहिये था लेकिन 8.18 प्रतिशत पाया गया, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। गैरसायल उक्त अनियमितता

के लिये दोषी है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल को 25000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल से अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 05.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर